कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

फोन नं0 – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 90   दिनांक – 1/2/25

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

विषय– चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र सं0 FP/JH/Road/146786/2021/556 दिनांक 06.09.2024

2. इस कार्यालय के ज्ञापांक 529 दिनांक 23.10.2024 पत्रांक 17 दिनांक 03.01.2025

म्हाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार द्वारा विषयक पथ निर्माण हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में 09 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसके आलोक में विषयक प्रासंगिक पत्र (2) द्वारा आपसे अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई थी। उक्त के आलोक में आपके द्वारा ऑनलाईन अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है परन्तु हार्डकॉपी अप्राप्त है।

परिवेश पोर्टल पर अपलोडेड ऑनलाईन अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि कतिपय त्रुटियाँ एवं आवश्यक अभिलेख अपलोड नहीं है जो निम्नवत् है :–

1. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अपलोडेड दस वर्षीय प्राक्कलन में स्थलवार कितना पिलर निर्माण होगा एवं S.O.R के तहत प्रति पिलर की दर से कितना राशि होगा उसे अंकित करते हुए संशोधित प्राक्कलन अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. ऑनलाईन पार्ट II में मात्र महेशा ग्राम का डी0जी0पी0एस0 मैप अपलोड है जिसमें 03 पैच में वनरोपण कार्य किया जायेगा परन्तु नक्शा पर एक पैच में ही पिलर दर्शाया हुआ हैं। इसमें पैचवार पिलर को क्रमवार दर्शाते हुए संशोधित डी0जी0पी0एस0 मैप अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही दो ग्राम क्रमशः मंझौली एवं करमा का भी डी0जी0पी0एस0 मैप अपलोड करें।
3. ऑनलाईन पार्ट II में मात्र महेशा ग्राम का टोप्पो मैप अपलोड है। इस प्रकार दो ग्राम क्रमशः मंझौली एवं करमा का भी टोप्पो मैप पर दर्शाते हुए अपलोड करें।
4. पार्ट II के Additional information में ऑनलाईन पार्ट II की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड नहीं है।
5. पार्ट II के Additional information में Tree Enumeration summary अपलोड है जिसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम के साथ हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं है।

अतः उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण करते हुए संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए हॉर्ड कॉपी में अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा सके।

आपका विश्वासी,

1/02/2025

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

NH BYPASS Road